

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला):	ACB DISTRICT	P.S. (थाना):	C.P.S Jaipur	Year (वर्ष):	2025
2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं.):	0279	Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):	21/10/2025 16:42 बजे		
S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)			Sections (धाराएं)	
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)			7	
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023			61(2)	
3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):					
1. Day(दिन): दरमियानी दिन		Date From (दिनांक से):	09/10/2025	Date To (दिनांक तक):	18/10/2025
Time Period (समय अवधि):		पहर	Time From (समय से):	14:00 बजे	Time To (समय तक):
(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):		Date (दिनांक):	21/10/2025	Time (समय):	10:00 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):		Entry No. (प्रविष्टि सं.):	001	Date & Time (दिनांक एवं समय):	21/10/2025 16:42:09 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित					
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):					
1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):		SOUTH-EAST, 325 किमी		Beat No. (बीट सं.):	NOT APPLICABLE
(b) Address(पता): KARYALAY AGNISHAMAN, SEWA KENDRA, NAGAR PARISHAD, BARAN					
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)					
Name of P.S. (थाना का नाम):			District(State) (जिला (राज्य)):		

3. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): ABHISHEK KHANDELWAL
(b) Father's Name (पिता का नाम): DINESHCHAND GUPTA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1989 (d) Nationality(राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	CHOODEE BAZAR, BARAN, KOTWALI BARAN, BARAN, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	CHOODEE BAZAR, BARAN, KOTWALI BARAN, BARAN, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	UVESH SHEKH		पिता: ABDUL MUNAF	1. MASJID KE PASS, LANKA COLONY, BARAN, BARAN, RAJASTHAN, INDIA
2	MOTISHANKAR NAGAR		पिता: KNHAIYALAL NAGAR	1. VIJAY NAGAR, DEWALI, NAGARFORT, TONK, RAJASTHAN, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
-----------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	2,50,000.00
---	------------------	-------	-------------

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,50,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण नं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात इस प्रकार है कि दिनांक 09.10.2025 समय 2.00 पी.एम पर परिवादी अभिषेक खण्डेलवाल पुत्र श्री दिनेशचंद गुप्ता जाति महाजन उम्र 36 साल निवासी- चुडी बाजार, बारां मोबाईल नम्बर- [REDACTED], उपस्थित आया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी कोटा, श्री विजय स्वर्णकार को एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि " मैं बारां शहर का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी के नाम पटाखों की मेगजीन आर.डी. ब्रदर्स के नाम से फर्म हैं, जिससे हम पटाखों का होलसेल एवं रिटेल व्यवसाय करते हैं, वर्तमान में दिवाली का त्यौहार आने वाला है तथा इस समय पटाखों का व्यापार अधिक होने वाला है। मुझे आयुक्त मोतीशंकर नागर ने मेरे परिचितों के माध्यम से मैसेज पहुंचाया है कि तुमको इस बार दिवाली का सीजन अच्छा रखना हैं, तो पटाखों का व्यापार करने के बदले में 5,00,000 रु. पहुंचाओ। इस पर मैं मोतीशंकर से मिला तो उन्होंने एक्सईएन भुवनेश मीणा अथवा उवेश शेख, फायर ऑफीसर से मिलने के लिए कहा मैं उवेश शेख, फायर ऑफीसर से मिला तो उसने मुझे स्वयं, भुवनेश मीणा एवं मोतीशंकर आयुक्त के लिए पटाखों का व्यवसाय सुचारू रूप से करने देने के बदले में इस साल के लिए 5 लाख रु. मांगे, उवेश शेख इससे पहले भी मेरे पिताजी से दबाव देकर 20 हजार रु. ले जा चुका हैं, मैं मेरे वैध व्यवसाय को सुचारू रूप से करने देने के बदले में मोतीशंकर, आयुक्त, एक्सईएन भुवनेश एवं उवेश फायर ऑफीसर को रिश्तत नहीं देना चाहता हूँ बल्कि रिश्तत लेते रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ। उपरोक्त तीनों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तथा उनसे मेरा उधार के रूपों का भी कोई लेन देन बकाया नहीं है। अतः रिपोर्ट कार्यवाही हेतु पेश है।" इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय से श्री नरेन्द्र सिंह हैड. कानि. 140 को बुलाकर परिवादी से परिचय करवाया तथा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मंगवाकर परिवादी को आरोपी से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चलाने व बन्द करने की विधि भलीभांती समझाई गई तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि मैं जब भी आरोपीगण से बात करने के लिए जाऊंगा उससे पहले आपको सूचित कर दूंगा, तत्पश्चात श्री नरेन्द्र सिंह को परिवादी के मोबाईल नम्बर दिलाये गये तथा होने वाली कार्यवाही से अवगत कराकर परिवादी को हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 10.10.2025 समय 08.30 ए.एम पर श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 को कार्यालय के मालखाने से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द किया गया और हिदायत दी गई कि परिवादी से सम्पर्क कर उसके बताये अनुसार बारां जाकर गोपनीय स्थान पर परिवादी से मिलें। परिवादी को डीवीआर चालू व बंद करने की विधि समझाकर आरोपी से मांग सत्यापन वार्ता करने के लिए भेजें और गोपनीय रूप से मांग सत्यापन वार्ता की निगरानी करें। श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 को मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के बारां रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। रात्री को समय 10.00 पी.एम. पर श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 मय डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के कार्यालय में उपस्थित आया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के एसीबी कार्यालय कोटा से रवाना होकर बारां पहुंचा, परिवादी से संपर्क कर उसकी दुकान पर गया, जहा पर परिवादी श्री अभिषेक खण्डेलवाल उपस्थित मिला, श्री अभिषेक खण्डेलवाल ने जरिये वॉट्सएप कॉल कर उवेश शेख से बात की तो उसने बताया कि मैं आयुक्त साहब से बात करके आपको वापस कॉल करता हूँ। इसके बाद सांयकाल तक आरोपी का कॉल नहीं आया तो फिर मैं श्री अभिषेक खण्डेलवाल ने जरिये वॉट्सएप कॉल किया किन्तु उसने कॉल रिसिव नहीं किया। परिवादी ने बताया कि अभी उसकी आयुक्त साहब से बात नहीं हुई होगी इसलिए वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा हैं, अब जब भी उसका कॉल आयेगा मैं आपको सूचित कर दूंगा आप रिकॉर्डर लेकर आ जाना, तत्पश्चात बारां से रवाना होकर एसीबी चौकी कोटा आया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर की फर्द सुपुर्दगी पृथक से मुर्तिब की गई, तत्पश्चात दिनांक 13.10.2025 समय 08.00 ए.एम. पर परिवादी से हुई वार्ता के क्रम में श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 को कार्यालय के मालखाने से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द किया गया और हिदायत दी गई कि परिवादी से सम्पर्क कर उसके बताये अनुसार बारां जाकर गोपनीय स्थान पर परिवादी से मिलें। परिवादी को डीवीआर चालू व बंद करने की विधि समझाकर आरोपी से मांग सत्यापन वार्ता करने के लिए भेजे और गोपनीय रूप से मांग सत्यापन वार्ता की निगरानी करें। श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 को मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के बारां रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। रात्री को समय 10.00

पी.एम. पर श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 मय डिविआर मय मैमोरी कार्ड के कार्यालय में उपस्थित आया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं मय डिविआर मय मैमोरी कार्ड के एसीबी कार्यालय कोटा से रवाना होकर परिवारी से संपर्क कर उसकी दुकान पर गया, जहा पर परिवारी श्री अभिषेक खण्डेलवाल उपस्थित मिला, श्री अभिषेक खण्डेलवाल ने जरिये वार्टसएप कॉल कर उवेश शेख से बात की तो उसने बताया कि मैं आयुक्त साहब से बात करके आपके वापस कॉल करता हूं। इसके बाद सांयकाल तक आरोपी का कॉल नहीं आया तो फिर से श्री अभिषेक खण्डेलवाल ने जरिये वार्टसएप कॉल किया जिस पर उवेश शेख ने परिवारी को बताया कि आज मेरी आयुक्त साहब से बात की तो उन्होंने कहा हैं कि मैं उससे डायरेक्ट नहीं मिल सकता। तुम ही बात कर लेना, जिस पर परिवारी ने कहा कि अरे थार आयुक्त साहब से बातचीत हो जाती तथा मेरा मेलजोल हो जाता तो ठीक रहता आईन्दा मेरे कोई दिक्कत नहीं आती तथा मेरी जान पहचान हो जाती तो ठीक रहता एक बार बात तो करवाओ आप, इस पर उवेश शेख ने कहा कि चलो ठीक हैं मैं एक बार फिर से कोशिश करके देखता हूं फिर आपको बताता हूं। इसके बाद सांयकाल 8 बजे तक भी उवेश शेख का कॉल नहीं आया तो परिवारी ने बताया कि अभी उसकी आयुक्त से बात नहीं हुई होगी उसका कॉल आते ही मैं आपको सूचित कर दूंगा तब आप बारा आ जाना, जिस पर मैं बारा से रवाना होकर एसीबी चौकी, कोटा आया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर की फर्द सुपुर्दगी पृथक से मुर्तिब की गई। दिनांक 15.10.2025 समय 08.00 ए.एम. पर परिवारी का नरेन्द्र सिंह है.कानि. के पास कॉल आया तथा बताया कि उवेश शेख का मेरे पास कॉल आया हैं तथा उसने मुझे अभी पन्द्रह बीस मिनट में ई.ओ. के घर पर बुलाया हैं, इस पर श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 को कार्यालय के मालखाने से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द किया गया और हिदायत दी गई कि परिवारी से सम्पर्क कर उसके बताये अनुसार बारा जाकर गोपनीय स्थान पर परिवारी से मिलें। परिवारी को डीवीआर चालू व बंद करने की विधि समझाकर आरोपी से मांग सत्यापन वार्ता करने के लिए भेजे और गोपनीय रूप से मांग सत्यापन वार्ता की निगरानी करें। श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 को मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के बारा रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई सांयकाल समय 4.00 पी.एम. पर श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल अवगत कराया था कि मैं कार्यालय से सुबह 8 बजे रवाना होकर बारा पहुंचा जहा पर मुझे परिवारी ने बताया कि कुछ समय पहले उवेश शेख का मेरे पास कॉल आया था, उसने कहा कि तुम अब लेट हो चुके हो अब मैं साहब के पास से जा रहा हूं अभी मत आना, अब जब भी आयुक्त साहब को समय होगा मैं तुमको बुला लूंगा, इसके बाद दिन में परिवारी के पास उवेश शेख का कॉल आया जिस पर परिवारी डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर उवेश शेख के पास गया तथा वापस आकर बताया कि मेरी उवेश शेख से आयुक्त एवं स्वयं के लिए रिश्तत राशि की बात हो गई हैं कार्य के संबंध में वार्ता के पश्चात उवेश शेख ने स्वयं के लिए एक लाख रु. तथा आयुक्त के लिए चार लाख रु. की मांग की थी, मैंने दौरान वार्ता ही उनसे कहा था कि ये तो ज्यादा हो जायेगे तो उसने कहा कि आयुक्त साहब ने मुझे जो कहा मैंने आपको बता दिया। मैंने पुनः कहा तो उन्होंने कहा कि बात करके देख लूंगा तथा स्वयं के लिए एक लाख मांगे उनको भी कम करने के लिए कहा तो एक लाख रु. देने पर ही अड़ा रहा तथा फिर कहा कि आपको ही आयुक्त साहब से मिलवा दूंगा तथा खरीखोटी बात कर लेना, मैं आपको बाद में बुलाता हूं, उपरोक्त रिकॉर्ड वार्ता को मेरे द्वारा सुना गया तो परिवारी द्वारा कहे गये कथनों की पुष्टि हुई है, अब जब भी पुनः परिवारी के पास उवेश शेख का कॉल आयेगा तथा परिवारी की आयुक्त से वार्ता हो जायेगी, मैं आपको बता दूंगा, इस पर श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. को बारा में ही रहने की हिदायत की गई। दिनांक 17.10.2025 समय 9:00 ए.एम. पर मन ताराचंद उप पुलिस अधीक्षक मय श्री योगेन्द्र कानि. 282 मय जीप सरकारी व चालक महेन्द्र सिंह कानि. 507 के आसूचना सकलन हेतु छबडा जिला बारा के लिए रवाना हुआ इसी दौरान श्री विजय स्वर्णकार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो कोटा ने मुझे अवगत कराया कि आज श्री अनीष अहमद उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता अन्य ट्रेप कार्यवाही करने हेतु गये हुये हैं तथा श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 को दिनांक 15.10.2025 को परिवारी श्री अभिषेक खण्डेलवाल से प्राप्त शिकायत के क्रम में सत्यापन हेतु बारा भेजा हुआ हैं, जिसमें एक आरोपी श्री उवेश शेख द्वारा की गई रिश्तत मांग का सत्यापन हो चुका हैं तथा उसके द्वारा उक्त रिश्तत मांग सत्यापन में आयुक्त नगर पालिका, बारा श्री मोतीशंकर नागर के लिए की गई रिश्तत मांग में रिश्तती राशि कम करवाने के लिए परिवारी को स्वयं मोतीशंकर से मिलाने की कहा गया है, जिसके लिए कल दिनांक 16.10.2025 को रात्री के समय परिवारी नगर पालिका परिसर स्थित मोतीशंकर नागर के आवास पर गया था किन्तु उवेश शेख वहां उपस्थित नहीं मिला तथा मोतीशंकर नागर खाना खा रहा था, इसलिए परिवारी मोतीशंकर नागर से सामान्य वार्ता कर वापस आ गया, रास्ते में उवेश शेख का फोन आया तो परिवारी ने कहा कि उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं तथा आप नहीं थे तो मैं उनसे क्या बात करता इस पर उवेश शेख ने परिवारी को आज दिनांक 17.10.2025 की सुबह मिलाने के लिए कहा हैं, उक्त शिकायत में दोनों अधिकारियों का आज संभावित रिश्तत मांग सत्यापन हो जायेगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने मन उप पुलिस अधीक्षक को परिवारी श्री अभिषेक खण्डेलवाल पुत्र दिनेशचन्द गुप्ता जाति महाजन उम्र 36 साल निवासी चूडी बाजार बारा की ओर से एक हस्तलिखित प्रार्थना उस पर की गई कार्यवाही का रनिंग नोट व अन्य संबंधित दस्तावेज सुपुर्द किये एवं बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र व सत्यापन के क्रम में उद्ध अधिकारियों के आदेशानुसार ट्रेप से सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही आप को करनी है। अतः आप भ्रनिब्यूरो कोटा से श्री अब्दुल सत्तार कानि. एवं श्री गौरव, कनिष्ठ

सहायक को हमराह ले जाओ तथा सत्यापन हो जाये तो भ्रनिब्यूरो बारां से ट्रेप बॉक्स एवं ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरण एवं गवाह व जाबता ले लेना, इस पर मन उप अधीक्षक मय जाबता श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282, श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158, श्री गौरव कनिष्ठ सहायक मय लेपटोप प्रिन्टर सील चपड़ी पदनाम मोहर के मय जीप सरकारी व चालक महेन्द्र सिंह कानि. 507 के आसूचना संकलन एवं संभावित ट्रेप कार्यवाही हेतु छबड़ा के लिए रवाना होकर छबड़ा से बारां समय 4.00 पी.एम.पर आया एवं अति. पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 से रेलवे स्टेशन बारां के पास गोपनीय स्थान पर मिला, श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. ने मन उप अधीक्षक पुलिस को दिनांक 15.10.2025 को रिकॉर्ड हुई सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 16.10.2025 एवं 17.10.2025 को रिकॉर्ड हुई वार्ता के मेमोरी कार्ड मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर के सुपुर्द कर रिकॉर्ड वार्ता के क्रम में अवगत कराया, तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ताओं के मुख्य अंश सुने गये। वार्ता में परिवादी को पटाखों का व्यवसाय सुचारू रूप से करने देने की एवंज में रिश्तत मांग का सत्यापन हुआ है। श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. ने बताया कि अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु परिवादी उसकी दुकान खण्डेलवाल ऐजेन्सी, पुराना गाडी अड्डा, बारां में मिलेगा, अतः ट्रेप कार्यवाही के क्रम में ट्रेप बॉक्स एवं ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरण, जाबता एवं स्वतंत्र गवाह लाने हेतु एसीबी चौकी बारां पहुंचा, जहां पर श्री प्रेमचन्द मीणा, उप अधीक्षक पुलिस उपस्थित मिले, जिन्होंने पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री श्योसिंह जाति गुर्जर उम्र 31 साल निवासी- गाँव बरवटपुरा थाना मासलपुर जिला करौली हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी, बारां मोबाईल नम्बर- [REDACTED] एवं श्री रिकू कुमार पुत्र श्री कैलाश चन्द मीणा जाति मीणा निवासी-ग्राम व पोस्ट सुकार तहसील बामनबास जिला सर्वाई माधोपुर हाल कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी, बारां मोबाईल नम्बर- [REDACTED] से आपसी परिचय करवाया गया तथा गवाह उपलब्ध करवाने के लिए जिला आबकारी अधिकारी को भिजवाये गये पत्र की प्रति सुपुर्द की गई, जिसमें शामिल फाईल किया गया। कार्यालय भ्रनिब्यूरो, बारां के मालखाने से फिनॉल्फथिलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर श्री बबलेश कानि. 261 से जीप सरकारी के डेशबोर्ड में रखवाया गया तथा ट्रेप बॉक्स एवं ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरण प्राप्त कर मय जाबता, मय श्री बबलेश कानि. 261 एसीबी बारां मय स्वतंत्र गवाहान के एसीबी चौकी बारां से रवाना होकर परिवादी के पास खण्डेलवाल ऐजेन्सी, पुराना गाडी अड्डा, बारां पहुंचा, जहां पर श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. ने मन उप अधीक्षक पुलिस एवं समस्त जाबते का परिवादी श्री अभिषेक खण्डेलवाल से आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी से उसके द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के क्रम में बताया तो स्वयं द्वारा हस्तलिखित बताया तत्पश्चात सभी को होने वाली कार्यवाही के क्रम में समझाईश की गई। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में स्वयं के पिताजी के नाम पटाखों व मैगजीन का लाइसेन्स होना बताया है, उक्त संबध में परिवादी ने अपने पिताजी के नाम के लाइसेन्स की छायाप्रती पेश की जिसका अवलोकन पेश किया, उप मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक जयपुर के कार्यालय से जारी है जिसका अनुज्ञप्ति संख्या E/NJ/RJ/24/18(E104457) है जो कि मैसर्स आर.डी.ब्रदर्स अधिभोगी दिनेश चन्द गुप्ता खण्डेलवाल ब्रदर्स के पास मेन रोड बारां के नाम से है जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। समय 5.00 पी.एम. पर मन उप पुलिस अधीक्षक पुलिस ने स्वतंत्र गवाहान श्री वीरेन्द्र सिंह एवं श्री रिकू कुमार से कार्यवाही में रहने के लिए कहा दोनो स्वतंत्र गवाहान ने ट्रेप कार्यवाही में रहने की अनुमति दी तत्पश्चात परिवादी अभिषेक खण्डेलवाल द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर दोनो गवाहान ने पढकर हस्ताक्षर किये, तत्पश्चात समय 5.02 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अभिषेक खण्डेलवाल ने अपने पास से निकालकर भारतीय मुद्रा के 500-500 रुपये के 500 नोट कुल राशि ढाई लाख रुपये मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये, जिनके नम्बर निम्न प्रकार है - क्र0स0 नोटों का प्रकार नोटों के नम्बर1. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 2 PN 4352812. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 0 PV 9457423. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 4 SC 9308924. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 6 EU 3888035. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 4 RD 7668506. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 5 ME 3357977. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 1 VK 2659038. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 2 QE 3469629. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 0 WP 16601010. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 3 FW 86751411. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 2 QE 34695912. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 7 AU 10510913. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 2 GM 52601214. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 5 FA 55137015. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 0 QS 72868816. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 2 QE 34696017. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 5 BE 14510818. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 5 KP 57251719. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 2 QE 34695620. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 5 HC 23615321. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 0 BE 83404522. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 2 CG 58632823. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 2 QE 34696324. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 2 QE 34696425. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 4 NB 09992626. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 5 EU 68385827. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ

6

7

8

9

10

भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 2 SR 956269449. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 0 EC 965357450. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 6 GL 514707451. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 1 KC 083207452. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 2 GF 496003453. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 2 ES 454983454. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 8 MC 125363455. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 3 DQ 995507456. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 8 TQ 285270457. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 7 HA 222722458. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 9 CV 100823459. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 5 AQ 888490460. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 7 FC 306150461. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 2 NK 889440462. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 6 HV 570187463. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 9 FK 469646464. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 8 DR 661041465. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 3 HN 869830466. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 8 WF 328095467. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 5 FH 079643468. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 7 WR 710025469. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 2 VM 887168470. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 3 KV 357128471. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 4 PD 320687472. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 9 GH 893976473. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 5 AR 133059474. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 1 TB 531300475. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 1 WE 714316476. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 4 RV 247664477. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 8 FN 258805478. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 6 NL 312442479. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 1 BA 755910480. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 2 LV 047332481. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 6 CM 681206482. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 2 UR 232482483. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 3 AA 524315484. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 4 CR 159828485. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 8 SA 220689486. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 8 SA 220690487. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 2 VH 913494488. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 8 FD 353811489. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 0 EC 081838490. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 6 CP 546211491. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 2 FG 881710492. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 9 PK 058139493. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 8 NE 792634494. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 3 ET 950327495. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 2 FE 436024496. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 5 HG 041716497. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 2 AT 824695498. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 4 CC 927200499. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 1 PL 870965500. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 9 DC 792668.

सरकारी वाहन जीप के डैशबोर्ड से श्री बबलेश कानि. 261, भनिब्यूरो, बारा के द्वारा फिनॉल्फथीलीन पाउडर की शीशी मंगवाई गई एक अखबार के ऊपर थोड़ा सा फिनॉल्फथीलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी मोटों पर फिनॉल्फथीलीन पाउडर भलीभांती लगवाया गया। गवाह श्री रिकू कुमार से परिवारी श्री अभिषेक खण्डेलवाल की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुये कपड़ों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनॉल्फथीलीन पाउडर लगे मोटों को श्री बबलेश कानि. 261 से की पेट की दोनों जेबों में सीधे ही रखवाई गई। एक डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा इस घोल में श्री बबलेश कानि. 261 के फिनॉल्फथीलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को घुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया इस प्रकार फिनॉल्फथीलीन व सोडियम कार्बोनेट के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टांत देकर संबंधितों को समझाया गया। श्री अभिषेक खण्डेलवाल को हिदायत की गई की आरोपी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पाउडर लगे हुये मोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप से हाथ लगाये। आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पाउडर लगे मोटों को निकालकर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्तत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप कार्यवाही के सदस्यों की ओर अपने सिर पर हाथ फेरकर अथवा मोबाईल पर मिसकॉल करके ईशारा करें। इसके बाद गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। पाउडर लगे अखबार व दृष्टांत में उपयोग किये गये गिलासों को जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनॉल्फथीलीन पाउडर की शीशी श्री बबलेश कानि. 261 को देकर वापस भ. नि. ब्यूरो, बारा के लिए रवाना किया। कार्यवाही में काम आने वाली कांच की शीशीयों मय डकान को अच्छी तरह साबुन से धुलवाकर साफ करवाया गया व प्लास्टिक के नये डिस्पोजल गिलास लिये गये। ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई की परिवारी के आस-पास सजदीक रहकर श्री अभिषेक खण्डेलवाल एवं आरोपी के मध्य होने वाले रिश्तत के लेनदेन को देखने व बार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके

पश्चात् सरकारी डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में नया मेमोरी लगाकर परिवारी को उसमें चलाने की विधि पुनः समझाई गई तथा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर परिवारी की पेंट में रखा तथा हिदायत दी गई की आरोपी से होने वाली वार्ता को वॉयस रिकॉर्डर के कार्ड में रिकॉर्ड करें। फर्द पेशकशी नियमानुसार मुर्तिब की जाकर गवाहान् व परिवारी को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मान सम्बन्धितों ने अपने-अपने हस्ताक्षर करवा शामिल फाईल की तत्पश्चात् समय 8.16 पी.एम. पर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालु करवाकर परिवारी श्री अभिषेक खण्डेलवाल से उवेश शेख से मिलने के संबंध में मोबाईल का स्पीकर ऑन कर कॉल करवाया गया तो उवेश शेख से स्पष्ट वार्ता नहीं हो पाई। परिवारी से ओवेश शेख को कॉल करने के लिए कहा तो परिवारी ने कहा कि अभी उससे स्पष्ट वार्ता नहीं की है अब वह फोन नहीं उठायेगा करीब दो तीन घन्टे बाद वह खुद ही मुझे फोन करेगा तथा मेरे पास पैसे लेने आयेगा तो फोन करके ही आयेगा। समय 8.20 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवारी श्री अभिषेक खण्डेलवाल व श्री उवेश शेख, सहायक अग्नि शमन अधिकारी के मध्य दिनांक 15.10.2025 को दौरान रिश्तत मांग सत्यापन हुई वार्ता, जिसको ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड में परिवारी श्री अभिषेक खण्डेलवाल द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड रिश्तत मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप में कनेक्ट कर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 से उक्त रिकॉर्ड वार्ता को लेपटॉप का स्पीकर चालु करवाकर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवारी श्री अभिषेक खण्डेलवाल को चलकर सुनाया गया तो उक्त वार्ता में परिवारी श्री अभिषेक खण्डेलवाल ने एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री उवेश शेख की तथा अन्य आवाजे अन्य व्यक्तियों की होना सुनकर पहचान कर बताया। उपरोक्त वार्ता में श्री अभिषेक खण्डेलवाल को परिवारी व उवेश शेख को आरोपी के नाम से संबोधित किया गया है। फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 से कार्यालय के सरकारी लेपटोप से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 11.15 पी.एम. पर परिवारी ने बताया कि समय अधिक हो गया है उवेश शेख का मेरे पास फोन आया था तो उसने कल सुबह मिलने के लिए कहा है, परिवारी के कहेनुसार कार्यवाही कल सुबह की जानी है, अतः परिवारी के पास रखी गई रिश्तत में ही जाने वाली राशि ढाई लाख रु. एवं डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को स्वतंत्र गवाहान से निकलवाई गई तथा रिश्तती राशि को स्वतंत्र गवाहान से एक थैली में रखवाकर रिश्तती राशि की थैली एवं डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय ट्रेप बॉक्स व ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों, रिश्तत मांग मांग सत्यापन के मेमोरी कार्ड के मय एसीबी जाब्ला के कोटा के लिए रवाना हुआ। परिवारी एवं स्वतंत्र गवाहान को इसी स्थान, परिवारी की दुकान पुराना गाड़ी अड्डा, बारा में दिनांक 18.10.2025 को प्रातः 8.30 ए.एम. पर मिलने तथा मामले की गोपनीयता बनाये रखने की मुतासिब हिदायत कर अपने-अपने गतव्य के लिए रवाना किया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस रिश्तत मांग सत्यापन के मेमोरी कार्ड, ट्रेप बॉक्स व ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों, मय रिश्तती राशि ढाई लाख रु. के बारा से रवाना होकर मय एसीबी जाब्ला एसीबी चौकी इन्टे0 कोटा पहुंचा, जहां रिश्तती राशि को थैली सहित सुरक्षित अलमारी में रखवाया जाकर ताला लगाया गया एवं ट्रेप बॉक्स एवं ट्रेप कार्यवाही में काम आने उपकरणों को भी चौकी में सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 18.10.2025 को मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी जाब्ला, एसीबी चौकी इन्टे0 कोटा से समय 6.30 ए.एम. पर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय रिश्तत मांग सत्यापन के मेमोरी कार्ड, ट्रेप बॉक्स व ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों, मय रिश्तती राशि ढाई लाख रु. थैली सहित रवाना होकर समय 8.30 ए.एम. पर पुराना गाड़ी अड्डा खण्डेलवाल एजेन्सी, बारा पहुंचा, जहां पूर्व से पाबन्धशुदा परिवारी एवं स्वतंत्र गवाहान उपस्थित मिले, समय 8.40 ए.एम. पर परिवारी ने बताया कि आरोपी उवेश शेख का मेरे पास 10 बजे आसपास ही फोन आयेगा क्योंकि उसको पता है मैं मेरी दुकान से आजकल रात को बहुत लेट श्री होता हूँ, अतः आरोपी उवेश शेख के कॉल के इन्तजार में मुकिम रहे। समय 9.45 ए.एम. पर परिवारी के मोबाईल पर ओवेश शेख का वाट्सएप कॉल आया जिसको परिवारी ने रिसिव नहीं किया तत्पश्चात् समय 10.00 ए.एम. के करीबन परिवारी ने अपने फोन का स्पीकर ऑन पर आरोपी ओवेश शेख को वाट्सएप कॉल किया तथा बात की तो आरोपी ने रिश्तत राशि लेकर कार्यालय में ही आने के लिए कहा। उपरोक्त वार्ता को कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। समय 10.25 ए.एम. पर थैली में रखी फिनॉलफथिलीन युक्त रिश्तती राशि ढाई लाख रु. को स्वतंत्र गवाह श्री रिकू कुमार से परिवारी के पेंट की जेबों में रखवाये तथा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु करवाकर परिवारी को उसकी स्कूटी से मय गौरव कनिष्ठ सहायक के तथा श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 एवं श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282 को पृथक से दूसरी स्कूटी तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय चालक श्री महेन्द्र सिंह, अब्दुल सत्तार कानि. एवं स्वतंत्र गवाहान के तथा सरकारी जीप के बदले एक प्राईवेट वाहन से अग्निशमन कार्यालय, बारा के लिए रवाना हुये। समय 10.32 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय चालक श्री महेन्द्र सिंह, अब्दुल सत्तार कानि. एवं स्वतंत्र गवाहान श्री वीरेन्द्र सिंह व श्री रिकू कुमार मय जाब्ला श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 एवं श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282 मय परिवारी श्री अभिषेक खण्डेलवाल व गौरव कनिष्ठ सहायक के अग्निशमन कार्यालय, बारा पहुंचा जहां अपनी व जाब्ला व वाहन की उपस्थित छुपाते हुये मुकिम हुये तथा परिवारी व गौरव कनिष्ठ सहायक को परिवारी की स्कूटी से कार्यालय के अन्दर भिजवाया गया समय समय 10.45 ए.एम. पर रूबरू स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवारी अभिषेक खण्डेलवाल ने आरोपी द्वारा रिश्तत राशि ग्रामि का अग्निशमन कार्यालय के परिसर में अपनी स्कूटी के पास खड़े हुये ने अपने सिर पर हाथ फेरकर

पूर्व निर्धारित इशारा किया तथा अपनी स्कूटी स्टार्ट करके गौरव कनिष्ठ सहायक को बैठाकर अग्निशमन कार्यालय से बाहर मन उप अधीक्षक के पास पहुंचा, जिस पर परिवादी को वापस अग्निशमन कार्यालय में चढ़ाने का इशारा करके मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी मय जाब्ता श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140, श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282, श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158, श्री गौरव कनिष्ठ सहायक चालक महेन्द्र सिंह, दोनों स्वतंत्र गवाहान मय बाहनों के अग्निशमन कार्यालय के परिसर में पहुंचा जहां पर परिवादी के बताये हुलिये का एक व्यक्ति एक अखबार में कुछ रखकर स्कूटी नम्बर आर.जे. 28 एस वाई 5332 बरंग नीला, की डिक्की खोलकर अखबार में लिपटे हुये कुछ सामान को रखा तथा चाबी लगाकर स्कूटी स्टार्ट कर ली श्री श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. से उक्त व्यक्ति के हाथ पकड़वाये तथा श्री गौरव कनिष्ठ सहायक से विडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए मोबाईल चालू करवाया गया तत्पश्चात उक्त व्यक्ति को कार्यालय अग्निशमन अधिकारी के कक्ष में ले जाया गया जहां पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति से उसको नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम उवेश शेख पुत्र श्री अब्दुल मुनोफ जाति मुसलमान उम्र 36 साल निवासी- मस्जिद के पास, लंका कोलोनी बांरा, हाल सहायक अग्निशमन अधिकारी, नगर परिषद बांरा तथा बाहर खड़ी स्कूटी नम्बर आर.जे. 28 एस वाई 5332 बरंग नीला को अपना होना बताया मन उप अधीक्षक पुलिस ने उवेश शेख को अपना परिचय दिया एवं परिवादी श्री अभिषेक खण्डेलवाल से लिये गये रूपयों के बारे में पूछा तो उवेश शेख ने कहा कि मैंने रूपये नहीं लिये तत्पश्चात उससे पूछा की आपने अभिषेक से ढाई लाख रूपये लिये हैं उनको आपने अपनी स्कूटी की डिक्की में रखा है क्या, जिस पर उवेश शेख मौन रहा तथा फिर कहा कि स्कूटी कोई भी ले जाता रहता है, जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने कहा कि अभी तो आप ही ले जा रहे थे, जिस पर उवेश शेख फिर से मौन हो गया पास खड़े हुये परिवादी से पूछा तो परिवादी ने कहा कि ये मुझसे मेरे पटाखों का व्यापार सुचारू रूप से चलने देने एवं परेशान नहीं करने देने की एवज में इनके एवं आयुक्त के लिए ढाई लाख रूपये मांग रहा था एवं अभी ढाई लाख रूपये मुझसे यहा अलमारी में रखवाये थे। श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि0 140 को अग्निशमन अधिकारी कक्ष के पीछे स्थित आयुक्त नगर परिषद के निवास पर आयुक्त मोतीशकर को लाने हेतु भेजा जिस पर श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. मय आयुक्त मोतीशकर नागर के उपस्थित आया। मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मोतीशकर नागर पुत्र श्री कन्हैयालाल नागर जाति नागर उम्र 45 साल निवासी- विजयनगर, थाना नगर फोर्ट, तहसील देवली, जिला टोंक हाल आयुक्त, नगर परिषद, बांरा होना बताया। श्री मोतीशकर से परिवादी की तरफ इशारा कर पूछा आप इनको जानते हो क्या तो बताया कि नहीं जानता फिर कहा कि ये कभी-कभी यहा आते रहते हैं, श्री मोतीशकर नागर से पूछा कि अभी दो तीन दिन में आप तीनों की आपस में बात हुई थी क्या इस पर कहा मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई, फिर श्री मोतीशकर नागर से उसके एवं स्वयं उवेश शेख के लिए परिवादी श्री अभिषेक खण्डेलवाल से ली गई ढाई लाख रू. रिश्तत के संबंध में पूछा तो बताया कि मुझे इस संबंध में कुछ भी जानकारी नहीं है। इसके पश्चात परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर बन्ध किया तथा परिवादी के कहेनुसार आरोपी उवेश शेख ने रिश्तती राशि कार्यालय की अलमारी में फाईलों के लाल बस्ते के ऊपर रखवाये थे तथा उनको अखबार से ढकवाया था तथा मन उप अधीक्षक के यहा पहुंचते समय वो रिश्तती राशि की अखबार में लपेट कर अपनी स्कूटी की डिक्की में रखते हुये मिला था अतः श्री उवेश शेख की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, एक डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट पावडर व कार्यालय मे रखे हुये पानी केम्पर से पानी डलवाया जाकर, गिलास में घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग की रंगहीन होना बताया। आरोपी उवेश शेख के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किया। इसके पश्चात एक नया डिस्पोजल गिलास लिया गया जिसमें सोडियम कार्बोनेट पावडर व कार्यालय मे रखे हुये पानी केम्पर से पानी डलवाया जाकर, गिलास में घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग की रंगहीन होना बताया। आरोपी उवेश शेख के बाये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क LH-1, LH-2 अंकित किया। आरोपी उवेश शेख के हाथों के धोवन का रंग गुलाबी एवं हल्का गुलाबी आया हैं अतः आरोपी एवं परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय कक्ष से बाहर लाकर बाहर खड़ी हुई स्कूटी आर.जे. 28 एस वाई 5332 बरंग नीला की डिक्की उवेश शेख से खुलवाई गई तथा डिक्की में रखे हुये अखबार के बण्डल का स्वतंत्र गवाहान से उठवाकर उसमे रखे हुये नोटों को गिनवाया गया तो वो ढाई लाख रूपये मिले जिनके नम्बरों का मिलान पूर्व में दिनांक 17.10.2025 को तैयारशुदा फर्द पेशकशी से करवाया गया तो बरामद राशि पांच-पांच सौ रूपये के 500 नोट कुल ढाई लाख रूपये के नोटों के नम्बरों का मिलान हुबहु हुआ, उक्त नोटों को बतौर वजह सबूत जम्त कर कब्जे एसीबी लिया जाकर सभी नोटों को कागज के एक पीले लिफाफे में रखकर लिफाफे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात एक नया डिस्पोजल गिलास लिया गया जिसमें सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर कार्यालय मे रखे हुये पानी केम्पर से पानी डलवाया जाकर, गिलास में घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग की रंगहीन होना बताया। आरोपी उवेश शेख ने परिवादी से रिश्तती राशि कार्यालय के जिस अलमारी में फाईलों के लाल बस्ते के ऊपर रखवाये थे उस लाल बस्ते के ऊपरी हिस्से का धोवन लिये जाने हेतु एक काँटन की चिन्दी में उक्त हिस्से को रंगडकर चिन्दी को गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग गुलाबी आया जिन्हे दो कांच

की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क LB-1, LB-2 अंकित किया। जिस कॉटन की चिन्दी से उपरोक्त धोवन लिया गया था उस चिन्दी को भी एक कपड़े की थैली में रखकर सील चिट कर थैली पर मार्क LB-3 अंकित किया। तत्पश्चात एक नया डिस्पोजल गिलास लिया गया जिसमें सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर कार्यालय में रखे हुये पानी केम्पर से पानी डलवाया जाकर, गिलास में घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन की दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी उवेश शेख ने परिवादी से रिश्वती राशि कार्यालय के अलमारी में से अखबार में लपेट कर अपनी स्कूटी की डिब्बी में रखे थे उपरोक्त अखबार का धोवन लिये जाने हेतु एक कॉटन की चिन्दी से अखबार को रंगडकर चिन्दी को गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क NP-1, NP-2 अंकित किया। जिस कॉटन की चिन्दी से उपरोक्त धोवन लिया गया था उस चिन्दी को भी एक कपड़े की थैली में रखकर सील चिट कर थैली पर मार्क NP-3 अंकित किया तथा अखबार को एक सफ़ेद कपड़े की थैली में रखकर सील चिट कर थैली पर मार्क NP अंकित किया। सभी धोवन एवं धैलियों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात श्री गौरव कनिष्ठ सहायक से मोबाईल से की जा रही कार्यवाही की रिकॉर्डिंग को बन्द करवाया गया तथा मोबाईल से मेमोरी कार्ड निकलवाकर सुरक्षित रखा गया। मेमोरी कार्ड की डबिंग पृथक से बनाई जावेगी। आरोपीगण के आवास की खानातलाशी बाबत उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया। कार्यालय अग्रिममन अधिकारी, बारा में कर्मचारियों के आने से भीड इकट्ठी हो गई इसलिए अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु मन उप अधीक्षक पुलिस मय जब्तशदा माल, मय परिवादी मय जाब्ता एवं स्वतंत्र गवाहान तथा श्री उवेश शेख, व श्री मोती शंकर नागर को साथ लेकर प्राइवेट व सरकारी वाहन से रवाना होकर एसीबी चौकी, बारा पहुंचा तथा श्री प्रेमचंद उप अधीक्षक पुलिस से कार्यालय क्रक्ष खुलवाकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। परिवादी से प्राप्त किये गये डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुये मेमोरी कार्ड को लेपटोप से कनेक्ट कर वक्त लेनदेन हुई रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो वार्ता में परिवादी द्वारा कहे गये कथनों की ताईद हुई है। आरोपी श्री उवेश शेख की जामा तलाशी लिवाई गई तो उसके पहने हुये कपड़ों में पेंस की जेब में पैसे मिला, पर्स में 580 रुपये, ड्राईविंग लाईसेंस, विभागीय पहचान पत्र, एक एटीएम कार्ड आईसीआईसीआई बैंक का नं. [REDACTED] तथा दूसरा एटीएम कार्ड आईडीबीआई बैंक का नं. [REDACTED] तथा गले में एक सोने की चेन, एक मोबाईल सैमसंग एस 24 अल्ट्रा कम्पनी का जिसके जीओ कम्पनी की सीम नम्बर [REDACTED] तथा दूसरे स्लॉट में बी.एस.एल की सीम नम्बर [REDACTED] मिला, जिनको स्वतंत्र गवाहान के पास सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री मोतीशंकर नागर की जामा तलाशी लिवाई गई तो उसके पहने हुये कपड़ों में दो मोबाईल मिले। एक मोबाईल आईफोन 16 प्रो मैक्स 512 जी.बी. सीम नम्बर- 8 [REDACTED] एयरटेल कम्पनी को जो आरोपी ने 164000 रु में स्वयं के नाम से खरीदना बताया तथा दूसरा मोबाईल वीवो कम्पनी का जिसमें सीम नम्बर 8 [REDACTED] जीओ कम्पनी का तथा एक लेंडर का पर्स जिसमें एक आई.सी.आई.सी.आई बैंक लाखेरी की 75000 रु. श्री मोतीशंकर के खाते में जमा कराने की रसीद मिली जिसके बारे में कहा कि मैं नगर पालिका लाखेरी में कार्यरत था, उस समय मैंने नगर पालिका लाखेरी के कर्मचारी राकेश से मेरे खाते में 75000 रु. जमा करवाये थे उसकी स्लिप है आज मुझे पता नहीं है कि मैंने राकेश से ये पैसे किस कारण से जमा करवाये थे। जामा तलाशी में मिले समस्त सामान पृथक से परिजनों को सुपुर्द किये जायेंगे। अतः दोनों मोबाईल पर्स एवं पर्सों को स्वतंत्र गवाह के पास सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात आरोपीगण से परिवादी के कार्य के संबंध में पूछा तो मोतीशंकर नागर ने कहा कि इनका मेरे पास कोई कार्य नहीं है ये अग्रिममन के कार्य के लिए आये थे तो मैंने इनको उवेश से मिलने के लिए कहा था तथा इनके विरुद्ध पूर्व में नगर परिषद द्वारा इनके मकान पर की गई कार्यवाही मेरे से पूर्ण ही हुई थी जिसकी पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध होगी। आरोपीगण के सेवा विवरण नगर परिषद बारा से प्राप्त कर शामिल फाईल किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री अभिषेक खण्डेलवाल के मोबाईल में स्थित परिवादी व आरोपी उवेश शेख के मध्य हुई व्हाट्सएप कॉल वार्ता की स्क्रीन शॉट की प्रतियों का प्रिन्ट निकालकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 02.30 पी.एम. पर आरोपी उवेश शेख को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी एवं उसके मध्य हुई वार्ताओं के मिलान के संबंध में नोटिस दिया गया श्री उवेश शेख ने नोटिस पर अपने हस्तलेख से लिखकर दिया कि "मैं अपनी स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना देना नहीं चाहता हूं" नोटिस को शामिल फाईल किया गया। समय 2.40 पी.एम. पर आरोपी मोतीशंकर को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी एवं उसके मध्य हुई वार्ताओं के मिलान के संबंध में नोटिस दिया गया श्री मोतीशंकर ने नोटिस पर अपने हस्तलेख से लिखकर दिया कि "मैं अपनी आवाज का सैम्पल स्वेच्छा से नहीं देना चाहता" नोटिस को शामिल फाईल किया गया। समय 3.00 पी.एम. पर इस समय उपरोक्त गवाहान के समक्ष श्री अभिषेक खण्डेलवाल एवं श्री मोतीशंकर, आयुक्त के मध्य तथा परिवादी व उवेश शेख, सहायक अग्रिममन अधिकारी, नगर परिषद, बारा से मोबाईल पर दिनांक 16.10.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन प्रयास वार्ता, कि फर्द ट्रांसक्रिप्ट लेपटोप से श्री नरेन्द्र सिंह हैकानि 140 द्वारा तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल किया गया। समय 4.00 पी.एम. पर आरोपी मोतीशंकर नागर के सरकारी आवास की तलाशी के लिए श्री प्रेमचंद मीणा, उप अधीक्षक पुलिस ध.नि. ब्यूरो, बारा को डिटेनशदा आरोपी मोतीशंकर नागर को सुपुर्द किया गया, समय 4.30 पी.एम. पर गवाहान के समक्ष श्री अभिषेक खण्डेलवाल एवं श्री मोतीशंकर, आयुक्त के मध्य तथा परिवादी व उवेश शेख, सहायक अग्रिममन अधिकारी, नगर परिषद

बारा के मध्य दिनांक 17.10.2025 को हुई रिश्तत मांग सत्यापन वार्ता, फर्द ट्रांसक्रिप्ट लेपटोप से श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि 140 द्वारा तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल किया गया। समय 5.30 पी.एम. पर श्री प्रेमचंद मीणा, उप अधीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो, बारा मय आरोपी मोतीशंकर नागर के बाद तलाशी सरकारी गावासा वापस आये एवं मोतीशंकर नागर को मन उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया। समय 6.00 पी.एम. पर श्री अभिषेक खण्डेलवाल एवं उवेश शेख, सहायक अग्निशमन अधिकारी, नगर परिषद, बारा के मध्य दिनांक 17.10.2025 को हुई रिश्तत लेनदेन के संबंध में मिलने के लिए हुई वाट्सएप कॉल वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट लेपटोप से श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि 140 द्वारा तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल किया गया। समय 6.20 पी.एम. पर आरोपीगण एक जन्तुशुदा झाल इत्यादि को श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. एवं जाक्ते की निशानी में एसीबी चौकी बारा छोड़ा गया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस एसीबी चौकी बारा से मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान वीरेंद्र सिंह एवं रिकू कुमार के रवाना होकर घटना स्थल अग्निशमन कार्यालय, बारा पहुंचा एवं घटनास्थल पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होने के कारण परिवादी की निशानेही पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटना स्थल का नक्शा मौका कसीद किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया, बाद कार्यवाही रवाना हो एसीबी चौकी बारा पहुंचा, समय 6.45 पी.एम. पर श्री अभिषेक खण्डेलवाल एवं उवेश शेख, सहायक अग्निशमन अधिकारी, नगर परिषद, बारा के मध्य दिनांक 18.10.2025 को हुई रिश्तत लेनदेन के संबंध में मिलने के लिए हुई वाट्सएप कॉल वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट लेपटोप से श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 द्वारा तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल किया गया। समय 07.10 पी.एम. पर श्री अभिषेक खण्डेलवाल एवं उवेश शेख, सहायक अग्निशमन अधिकारी, नगर परिषद, बारा के मध्य दिनांक 18.10.2025 को वक्त रिश्तत लेनदेन हुई वार्ता, जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर में सगे हुए मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे हुए मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड रिश्तत लेनदेन वार्ता को कार्यालय के लेपटोप में कनेक्ट कर सुनाया गया तथा फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 से कार्यालय के सरकारी लेपटोप पर तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 09.00 पी.एम. पर आरोपी श्री उवेश शेख हाल सहायक अग्निशमन अधिकारी, नगर परिषद द्वारा परिवादी के पटाखों के हॉलसेल एवं रिटेल व्यवसाय को सुचारू रूप से करने देने तथा उसमें नगर परिषद एवं अग्निशमन डिपार्टमेंट की तरफ से नियमों का हवाला देकर कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करने के बदले में 5,00,000 रुपये की मांग करने दिनांक 15.10.2025 को दौरान सत्यापन श्री उवेश शेख अग्निशमन अधिकारी द्वारा आयुक्त मोतीशंकर के लिए चार लाख तथा स्वयं के लिए एक लाख रु. की मांग करने परिवादी द्वारा कम करने की कहने पर उवेश शेख द्वारा आयुक्त से बात करवाने के लिए कहने जिस पर दिनांक 17.10.2025 को उवेश शेख ने परिवादी की आयुक्त मोतीशंकर से वार्ता करवाई तथा मोतीशंकर द्वारा परिवादी को उसके व्यवसाय में परेशान नहीं करने के लिए आश्वासन देने तथा उवेश शेख से वार्ता करने के लिए कहने तत्पश्चात उवेश शेख द्वारा परिवादी से आयुक्त एवं स्वयं के लिए तीन लाख रु. देने के लिए कहने तथा बाद में ढाई लाख रु. देना तय हेन तथा रिश्तत मांग सत्यापन के क्रम में दिनांक 18.10.2025 को आरोपी उवेश शेख द्वारा रिश्तती राशि देने की कहने तथा उवेश शेख की स्कूटी की डिक्की से रिश्तती राशि ढाई लाख रु. बरामद होने, आरोपी उवेश शेख के दोनों हाथों के धोवन का रंग गुलाबी एवं हल्का गुलाबी आने, लाल बस्ते के धोवन का रंग गुलाबी आने एवं अखबार के धोवन का रंग गुलाबी आने से आरोपी श्री उवेश शेख पुत्र श्री अब्दुल मुनाफ जाति मुसलमान उम्र 36 साल निवासी- मस्जिद के पास, लंका कोलोनी बारा, हाल सहायक अग्निशमन अधिकारी, नगर परिषद बारा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से नियमानुसार फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब कर गिरफ्तार किया गया। समय 09.30 पी.एम. आरोपी श्री मोतीशंकर नागर, आयुक्त नगर परिषद द्वारा परिवादी के पटाखों के हॉलसेल एवं रिटेल व्यवसाय को सुचारू रूप से करने देने तथा उसमें नगर परिषद एवं अग्निशमन डिपार्टमेंट की तरफ से नियमों का हवाला देकर कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करने के बदले में 5,00,000 रुपये की मांग करने दिनांक 15.10.2025 को दौरान सत्यापन श्री उवेश शेख अग्निशमन अधिकारी द्वारा आयुक्त मोतीशंकर के लिए चार लाख तथा स्वयं के लिए एक लाख रु. की मांग करने परिवादी द्वारा कम करने की कहने पर उवेश शेख द्वारा आयुक्त से बात करवाने के लिए कहने जिस पर दिनांक 17.10.2025 को उवेश शेख ने परिवादी की आयुक्त मोतीशंकर से वार्ता करवाई तथा मोतीशंकर द्वारा परिवादी को उसके व्यवसाय में परेशान नहीं करने के लिए आश्वासन देने तथा उवेश शेख से वार्ता करने के लिए कहने तत्पश्चात उवेश शेख द्वारा परिवादी से आयुक्त एवं स्वयं के लिए तीन लाख रु. देने के लिए कहने तथा बाद में ढाई लाख रु. देना तय हेन तथा रिश्तत मांग सत्यापन के क्रम में दिनांक 18.10.2025 को आरोपी उवेश शेख द्वारा रिश्तती राशि देने की कहने तथा उवेश शेख की स्कूटी की डिक्की से रिश्तती राशि ढाई लाख रु. बरामद होने, आरोपी उवेश शेख के दोनों हाथों के धोवन का रंग गुलाबी एवं हल्का गुलाबी आने, लाल बस्ते के धोवन का रंग गुलाबी आने एवं अखबार के धोवन का रंग गुलाबी आने से आरोपी श्री मोतीशंकर नागर पुत्र श्री कन्हैयालाल नागर जाति नागर उम्र 45 साल निवासी- विजयनगर, थाना नगर फीर्ट, तहसील देवली, जिला टोक हाल आयुक्त नगर परिषद, बारा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया गया। समय 10.30 पी.एम. पर

दिनांक 15.10.2025 को परिव्रादी श्री अभिषेक खण्डेलवाल एवं आरोपी उवेश शेख के मध्य हुई रिश्तत मांग सत्यापन वार्ता जिसे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड SanDisk 32 GB में रिकॉर्ड किया गया था, उपरोक्त वार्ता की मेमोरी कार्ड को लेपटोप से कनेक्ट करने पर लेपटोप पर "You need to format the disk in Drive J Before you can use it" मैसेज आ रहा है, कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से निकालकर पुनः लगाने पर फिर से कार्ड को फॉरमेट करने का मैसेज आ रहा है, अतः उक्त कार्ड की कॉपी नहीं की जा सकी है, किन्तु उक्त कार्ड को दिनांक 17.10.2025 को लेपटोप में लेकर दिनांक 15.10.2025 की वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई गई थी, अतः उक्त लेपटोप में स्थित वार्ता की फाईल 251015_1406 जो 66,02 KB की कुल समय 46 मिनट 59 सैकण्ड की है, दिनांक 16.10.2025 को परिव्रादी श्री अभिषेक खण्डेलवाल एवं आरोपी श्री मोतीशंकर एव उवेश शेख के मध्य हुई रिश्तत मांग सत्यापन प्रयास वार्ता जिसे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड SanDisk 32 GB में रिकॉर्ड किया गया था, उपरोक्त वार्ता की मेमोरी कार्ड में फाईल 251016_2015 जो 25,505 KB की तथा कुल समय 18 मिनट 12 सैकण्ड की है, दिनांक 17.10.2025 को परिव्रादी श्री अभिषेक खण्डेलवाल एवं आरोपी श्री मोतीशंकर एव उवेश शेख के मध्य हुई रिश्तत मांग सत्यापन वार्ता जिसे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड SanDisk 32 GB में रिकॉर्ड किया गया था, उपरोक्त वार्ता की मेमोरी कार्ड में फाईल 251017_1318 जो 28,520 KB की तथा कुल समय 20 मिनट 16 सैकण्ड की है, दिनांक 17.10.2025 को परिव्रादी श्री अभिषेक खण्डेलवाल एवं आरोपी उवेश शेख के मध्य रिश्तत लेनदेन के संबंध में मिलने के लिए जरिये मोबाईल वाट्सएप कॉल पर हुई वार्ता, जिसको मोबाईल का स्पीकर ऑन कर तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर का स्पीकर ऑन कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड SanDisk Ultra 16 GB में रिकॉर्ड किया गया था, उपरोक्त वार्ता की मेमोरी कार्ड में फाईल 251017_2013 जो 1.91 MB की तथा कुल समय 1 मिनट 23 सैकण्ड की है, दिनांक 18.10.2025 को परिव्रादी श्री अभिषेक खण्डेलवाल एवं आरोपी उवेश शेख के मध्य रिश्तत लेनदेन के संबंध में मिलने के लिए जरिये मोबाईल वाट्सएप कॉल पर हुई वार्ता, जिसको मोबाईल का स्पीकर ऑन कर तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर का स्पीकर ऑन कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड SanDisk Ultra 16 GB में रिकॉर्ड किया गया था, उपरोक्त वार्ता की मेमोरी कार्ड में फाईल 251018_1009 जो 3.25 MB की तथा कुल समय 2 मिनट 21 सैकण्ड की है तथा दिनांक 18.10.2025 को वक्त रिश्तत राशि लेन-देन हुई वार्ता जिसे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड SanDisk Ultra 16 GB में रिकॉर्ड किया गया था, उपरोक्त वार्ता की मेमोरी कार्ड में एक फाईल 251018_1026 जो 33848 KB की है तथा कुल समय 24 मिनट 03 सैकण्ड की है। उक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ताओं एवं लेपटोप में स्थित दिनांक 15.10.2025 की वार्ता को श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 के द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड एवं लेपटोप से कॉपी कर उक्त वार्ताओं के KDM SPEED PRO USB FLASH DRIVE 8 GB कंपनी के पांच पेन ड्राइव तैयार करवाये गये, जिसमें से एक पेन ड्राइव माननीय न्यायालय के लिए, एक पेन ड्राइव माननीय न्यायालय में तमूना आवाज के लिये व दो पेन ड्राइव आरोपीगण के लिये पृथक-पृथक कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर की गई तथा एक पेन ड्राइव अनुसंधान अधिकारी के लिए लिफाफे में रखवाया गया तथा तीनों मेमोरी कार्ड SanDisk 32 GB SanDisk 32 GB SanDisk Ultra 16 GB में रिकॉर्ड फाईलों की हैश वेल्यू निकालकर उसके प्रिन्ट आउट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल की गई तथा तीनों मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर, तीनों मेमोरी कार्ड को कवर सहित कपडे की थैलियों में रखाकर सील्ड मोहर कर सभी सील्ड मोहर थैलियों पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया, तत्पश्चात दिनांक 18.10.2025 को वक्त रिश्तत बरामदगी के श्री गौरव कनिष्ठ सहायक से सरकारी मोबाईल में लगे हुये मेमोरी कार्ड SanDisk 16 GB में विडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई थी, उपरोक्त विडियो रिकॉर्डिंग की मेमोरी कार्ड में फाईल 20251018_104533 जो 14180 KB, 20251018_104554 जो 1194047 KB, 20251018_111906 जो 4193939 KB, 20251018_115271 जो 650265 KB की है। उपरोक्त फाईल की मेमोरी कार्ड से कॉपी कर लेपटोप से उक्त विडियो रिकॉर्डिंग के Sandisk Cruzer Blade 32 GB कंपनी का एक पेन ड्राइव अनुसंधान अधिकारी के लिए लिफाफे में रखकर शामिल फाईल किया गया तथा मूल मेमोरी कार्ड SanDisk 16 GB में रिकॉर्ड फाईलों की हैश वेल्यू निकालकर उसके प्रिन्ट आउट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल की गई मेमोरी कार्ड को कवर सहित कपडे की थैली में रखाकर सील्ड मोहर कर थैली पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये, चूंकि पूर्व में बनी फर्द प्रतिलिपिकरण एवं वक्ती पेन ड्राइव एवं मूल मेमोरी कार्ड में दिनांक 15.10.2025 को परिव्रादी श्री अभिषेक खण्डेलवाल एवं आरोपी उवेश शेख के मध्य हुई रिश्तत मांग सत्यापन वार्ता जिसे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड SanDisk 32 GB में रिकॉर्ड किया गया था, उपरोक्त वार्ता की मेमोरी कार्ड को लेपटोप से कनेक्ट करने पर लेपटोप पर "You need to format the disk in Drive J Before you can use it" मैसेज दिखाई दे रहा था, अतः उक्त कार्ड से पेन ड्राइव में कॉपी नहीं हो पाई तथा उक्त कार्ड से पूर्व में दिनांक 17.10.2025 को लेपटोप में लेकर कॉपी करके दिनांक 15.10.2025 की वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई गई थी, उक्त वार्ता की लेपटोप में स्थित वार्ता की फाईल 251015_1406 जो 66,02 KB की कुल समय 46 मिनट 59 सैकण्ड की है को पेन ड्राइव में कापी किया गया था तथा मूल मेमोरी कार्ड को सील्ड मोहर किया गया है। उक्त मेमोरी कार्ड में फाईल 251015_1406 जो 66,02 KB अभी मौजूद है अथवा नहीं ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।

किन्तु मेमोरी कार्ड में आई तकनीकी समस्या को समाधान हेतु उपरोक्त शील्डशुदा मेमोरी कार्ड को पृथक् से विश्वि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जावेगा। समय 11.58 पी.एम. पर गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री मोती शंकर नागर, आयुक्त नगर परिषद बारा व श्री उवेश शेख सहायक अग्रिशमन अधिकारी बारा का स्वास्थ्य परिक्षण कराने हेतु श्री अब्दुल सत्तार कानि0 श्री मोहम्मद सिंह कानि0 व श्री मोरख कनिष्ठ सहायक मय जीप सरकारी चालक महेन्द्र सिंह मय मुल्जिमान तहरीर दी जाकर राजकीय चिकित्सालय बारा रवाना किया गया एवं हिदायत दी गई की बाद मेडीकल आरोपियों को कोतवाली बारा के हवालाला में दाखिल करावे तथा परिवादी श्री अभिषेक खण्डेलवाल एवं स्वतंत्र गवाहान श्री वीरेंद्र सिंह एवं रिकू कुमार को अपने निवास पर रवाना किया गया। समय 1.30 ए.एम.पर दोनों आरोपीगण के बाद मेडीकल कोतवाली बारा के हवालाला में दाखिल करवाया गया, जिन्हे दिनांक 19.10.2025 को थाना कोतवाली से प्राप्त कर आरोपीगण से पूछताछ की तथा वर्तमान में आरोपीगण से कोई अनुसंधान शेष नहीं होने से आरोपीगण को 15 योम जेसी हेतु मय रिमाण्ड फार्म के अवकाश कालीन रिमाण्ड मजिस्ट्रेट हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय किशनगंज को नियुक्त किया गया है, अतः आरोपीगण को किशन गंज पेश किया, जहाँ से अवकाश कालीन रिमाण्ड मजिस्ट्रेट हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय किशनगंज द्वारा आरोपीगण उवेश शेख एवं मोतीशंकर नागर का 24.10.2025 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिये, जहाँ से न्यायालय के आदेशानुसार आरोपीगण को जेल बारा में दाखिल करवाकर रसीद प्राप्त कर शामिल फाईल की तत्पश्चात मनः उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता मय जन्तशुदा रिश्वती राशि ढाई लाख रू. के लिफाफा, आरोपी उवेश के दोने हाथों का धोवन के सैम्पल चार बस्ते के ऊपर से लिये गये धोवन के दो सैम्पल, अखबार के धोवन के दो सैम्पल तथा अखबार का पैकिट एक, चिन्दी के पैकिट दो जन्तशुदा चार मूस मेमोरी कार्ड एवं 5- पेन ड्राईव एवं एक अनशील्ड पेन ड्राईव मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर एवं टैग कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों लैपटोप इत्यादि के मय जीप सरकारी मय चालक के रवाना बारा में रवाना होकर श्री नि.ब्यूरे कोटा पहुंचा तथा समस्त माल को मालखाना प्रभारी आशिक हुसैन सउति से जमा मालखाना करवाया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि कि परिवारी के प्रार्थना पत्र अनुसार उसके पटाखों के हॉलसेल एवं रिटेल व्यवसाय को संचालन रूप से करने देने तथा उसमें नगर परिषद एवं अग्रिशमन डिपार्टमेंट की तरफ से नियमी का हवाला देकर कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करने के बदले में 5,00,000 रुपये की मांग की गई। दिनांक 15.10.2025 को दौरान सत्यापन अग्रिशमन अधिकारी श्री उवेश शेख ने आयुक्त मोतीशंकर के लिए चार लाख तथा स्वयं के लिए एक लाख रू. की मांग की परिवारी द्वारा कम करने की कहने पर उवेश शेख ने आयुक्त से बात करवाने के लिए कहा जिस पर दिनांक 17.10.2025 को उवेश शेख ने परिवारी की आयुक्त मोतीशंकर से वार्ता करवाई तथा मोतीशंकर ने परिवारी को उसके व्यवसाय में परेशान नहीं करने के लिए आश्वासन दिया तथा उवेश शेख से वार्ता करने के लिए कहा जिस पर उवेश शेख ने परिवारी से आयुक्त एवं स्वयं के लिए तीन लाख रू. देने के लिए कहा तथा बाद में ढाई लाख रू. देना तय हुआ तथा रिश्वत मांग सत्यापन के क्रम में आज दिनांक 18.10.2025 को आरोपी उवेश शेख द्वारा रिश्वती राशि देने की कहने तथा उवेश शेख की स्कूटी की डिब्बी से रिश्वती राशि ढाई लाख रू. बरामद होने, आरोपी उवेश शेख के दोनों हाथों के धोवन का रंग गुलाबी एवं हल्का गुलाबी आने लाल बस्ते के धोवन का रंग गुलाबी आने एवं अखबार के धोवन का रंग गुलाबी आने से आरोपीगण 1. श्री उवेश शेख पुत्र श्री अब्दुल मुनाफ जाति मुसलमान उम्र 36 साल निवासी- मस्जिद के पास, लंका कोलोनी बारा, हाल सहायक अग्रिशमन अधिकारी, नगर परिषद बारा तथा 2. श्री मोतीशंकर नागर पुत्र श्री कन्हैयालाल नागर जाति नागर उम्र 45 साल निवासी- विजयनगर, थाना नगर फोर्ट, तहसील देवली, जिला टोंक हाल आयुक्त, नगर परिषद, बारा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस. का प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाने से अपेक्षणीय अपराध है, परिवारी ने अपने प्रार्थना पत्र में श्री भुवनेश मीणा, एक्सईएन नगर परिषद बारा के लिए भी रिश्वत मांगने के आरोप लगाये हैं तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं में भी परिवारी द्वारा उवेश शेख एवं मोतीशंकर, आयुक्त से बार-बार भुवनेश मीणा द्वारा परेशान किये जाने का जिक्र किया है इसलिए भुवनेश मीणा द्वारा परिवारी को परेशान किये जाने के क्रम में श्री भुवनेश मीणा, एक्सईएन नगर परिषद बारा की भुमिका अनुसंधान से स्पष्ट होगी। अतः आरोपीगण 1. श्री उवेश शेख पुत्र श्री अब्दुल मुनाफ जाति मुसलमान उम्र 36 साल निवासी- मस्जिद के पास, लंका कोलोनी बारा, हाल सहायक अग्रिशमन अधिकारी, नगर परिषद बारा तथा 2. श्री मोतीशंकर नागर पुत्र श्री कन्हैयालाल नागर जाति नागर उम्र 45 साल निवासी- विजयनगर, थाना नगर फोर्ट, तहसील देवली, जिला टोंक हाल आयुक्त, नगर परिषद, बारा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस. का प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते के माकन प्रेषित है। (ताराचंद) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्द्रे, कोटा। कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ताराचंद, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्द्रे, कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से आरोपीगण 1. श्री उवेश शेख पुत्र श्री अब्दुल मुनाफ जाति मुसलमान उम्र 36 साल निवासी- मस्जिद के पास, लंका कोलोनी बारा, हाल सहायक अग्रिशमन अधिकारी, नगर परिषद बारा एवं 2. श्री मोतीशंकर नागर पुत्र श्री कन्हैयालाल नागर जाति नागर उम्र 45 साल निवासी- विजयनगर, थाना नगर फोर्ट, तहसील देवली, जिला टोंक हाल आयुक्त, नगर परिषद, बारा के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण

अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस. में पंजीकृत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गईं। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री प्रेमचन्द, उप पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाराँ को मनीषित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 556 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1578-81 दिनांक 21-10-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:- 1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2-निदेशक स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे, कोटा। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken. Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 1 की गई कार्यवाही, चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका सद सं. 2 में उल्लेख द्वारा के तहत है।

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

(2) Directed (Name of I.O.): PREM CHAND Rank: (जाँच अधिकारी का नाम): MEENA (पद):

No(s): to take up the investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए):

or (के कारण इकार किया, या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

Full Read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्रत्येकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई मीना और एक प्रति निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb Impression of the complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by Pushpendra Singh
Rajpore
Location: Rajasthan
Date: 21/10/2025

15. Date and time of dispatch to the court (समाधान में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Pushpendra Singh

Rank (पद): SP (Superintendent of

No(s.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known/seen)

(शारीरिक / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark (पहचान चिह्न)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	24/04/1989				
2	Male	01/01/1981				

Deformities/Peculiarities (विकृतियाँ/विशिष्टताएँ)	Teeth (दंत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा/बोली)	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धुबल रोग)	Place Of (का स्थान)	Mole (मस्ता)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	Others (अन्य)
14	15	16	17	18	19	20	21

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र केवल तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)